

# कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर

क्रमांक:-प-11(11)आरपीए/प्रशिक्षण/बीपीआरएण्डडी/2021/9765-69 दिनांक:- 30/12/2021

सहायक महानिरीक्षक पुलिस  
(प्रशिक्षण), राजस्थान, जयपुर।

विषय:- बी0पी0आरएण्डडी नई दिल्ली द्वारा आयोजित कोर्सेज में मनोनयन के संबंध में।

प्रसंग:- बी0पी0आरएण्डडी नई दिल्ली कार्यालय के पत्र 65/46/2018/Trg/TD/BPR&D  
दिनांक 07.06.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में निर्देशानुसार निवेदन है, कि बी0पी0आर0एण्ड डी0 नई दिल्ली के सौजन्य से राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में माह जनवरी-2022 में 5 दिवसीय निम्न कोर्स आयोजित किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र.सं.	कोर्सेज का नाम	प्रशिक्षण अवधि	रैंक	संस्था में उपस्थित की दिनांक
1	Training Course on "Investigators on Women's Safety"	10.01.2022 से 14.01.2022	उ0नि0 से पु0उ0अ0	09.01.2022

उक्त प्रशिक्षण कोर्स में सम्मिलित होने हेतु राजस्थान पुलिस से 30-35 उप निरीक्षक से पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारियों का कोर्स में मनोनयन कराने का श्रम करावें। उक्त कोर्स में मनोनीत किये जाने वाले अधिकारियों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो व वर्तमान में वे अनुसंधान अधिकारी के रूप में भी कार्य कर रहे हो एवं जिन्होंने पूर्व में यह कोर्स नहीं किया हो, का मनोनयन कराने का श्रम करावें। उक्त कोर्स में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों को निर्देशित करावें कि वे नोमिनेशन अधिकारियों की एस.एस.ओ. आईडी, ई-मेल आईडी व वाट्सअप मोबाइल नम्बर एवं सिविल औपचारिक कार्यालय वेश-भूषा के अलावा वर्किंग यूनिफॉर्म, सफेद पीटी ड्रेस मय सफेद पीटी शूज (जीन्स एवं स्पोर्ट्स शूज की अनुमति नहीं है) के साथ आवश्यक रूप से अपनी उपस्थिति दिनांक 09.01.2022 को सांयकाल तक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में प्रस्तुत करेंगे। उक्त कोर्स में राजस्थान पुलिस अकादमी में निवास करना अनिवार्य होगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि बीपीआरएण्डडी नई दिल्ली के प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में यह भी निर्देश फरमायें कि उपयुक्त प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी स्वयं द्वारा अनुसंधान की गई महिला सुरक्षा से सम्बन्धित (विशेषकर यौन उत्पीड़न) की एक पत्रावली साथ लेकर आयें ताकि इनके द्वारा किये गये अनुसंधान का स्व मूल्यांकन एवं विश्लेषण कर सुधार की संभावना पर कार्यवाही की जा सके।

निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त प्रशिक्षण में आने वाले प्रशिक्षणार्थी की कोविड-19 की जांच करवाकर मय जांच रिपोर्ट एक दिवस पूर्व संस्थान में उपस्थिति देंगे। यह जांच रिपोर्ट 72 घण्टे से पूर्व की नहीं होनी चाहिए। बिना जांच रिपोर्ट के प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित को सूचित कर पाबन्द करें।

भवदीय,

उप निदेशक एवं प्राचार्य,  
राजस्थान पुलिस अकादमी,  
जयपुर।